कार्यालय

नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर

जनपद–सिद्धार्थनगर

संख्या /न0पा0परि0सि0न0/2021–22 दिनांक.........................

अति अल्प कालिक निविदा सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर सीमान्र्तगत नगर पालिका के समस्त वार्डो में जल–जमाव वाले स्थान पर राविंश, मिट्टी एवं ईट का रोडा गिराया जाने हेतु दिनांक 27/05/2021 को समय 1.00 बजे तक नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर कार्यालय पर निम्न शर्तो के अन्तर्गत निविदा दे सकते है। उक्त निविदा को उसी दिनांक को समय 3.00 बजे उपस्थित निविदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय,द्वारा नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर कार्यालय पर खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य अदा करके दिनांक 26/05/2021......तक प्राप्त किया जा सकता है। उक्त कार्य से सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। तथा नगर पालिका के वेबसाइट www.nppsiddharthnagar.in पर भी देखा जा सकता है। कार्य का विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	कार्य का विरण	दर	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	जल–जमाव वाले स्थान पर राविंश, गिराये जाने का कार्य।	प्रति ट्राली	90000.00	1000.00	2 माह के अन्दर
2	जल–जमाव वाले स्थान पर ईट का रोडा गिराये जाने का कार्य।	प्रति ट्राली			" "

नियम व शर्ते

1 इच्छुक व्यक्ति/फर्म को निविदा के साथ जमानत धनराशि के रूप में राष्ट्रीय बचत–पत्र, किसान विकास पत्र, एफ0डी0आर0 तथा टी0डी0आर0 या एम.एस.सी.–5 पर नकद कैश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के नाम या उनके पक्ष में बन्धक कर जमा करना होगा।

2 इच्छुक व्यक्ति/फर्म को अपने निविदा में उपरोक्त समस्त सामग्रियों के दर प्रति ट्राली लेबर आदि चार्ज सहित निविदा में अलग–अलग देना होगा तथा जमानत धनराशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही वापस किया जायेगा।

3 इच्छुक व्यक्ति/फर्म को अपने निविदा में स्पष्ट दर के जी एस टी आदि का विवरण देना होगा।

4 इच्छुक व्यक्ति/फर्म की दर स्वीकृति होने के उपरान्त पुनः दरों में किसी प्रकार की कोई बृद्धि नही की जायेगी।

5 ठेकेदार/फर्म के बिल से शासन के निर्देशानुसार देय करों का नियमानुसार कटौती किया जायेगा ,जो ठेकेदार /फर्म को मान्य होगा।

6 इच्छुक व्यक्ति/फर्म को अपने व्यय से 100.00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

7 इच्छुक व्यक्ति / फर्म निर्धारित मानक के अनुसार कार्य नही करेगा या मानक के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति समय नही किया जायेगा, तो भा0द0सं0के अन्तर्गत यह कृत्य अपराध माना जायेगा, तथा इच्छुक व्यक्ति / फर्म के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

8 बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरिक्षत होगा, उस पर वाद ~~बिवाद~~ होने दशा में कोई विचार नही किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिद्धार्ानगर

कार्यालयः नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर

संख्याः 174(3) / न0पा0परि0सि0न0 / 2021—22 दिनांक 21/05/2021

प्रतिलिपिः:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
2 अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0) / सिद्धार्थनगर।
3 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,सिद्धार्थनगर।
4 कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5 कम्प्युटर आपरेटर को इस आशय से प्रेषित कि नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर के वेबसाइट पर अपलोड करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिद्धार्ानगर